

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठारीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाडोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 36/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/118

अनवान

1. तेजीदेवी पत्नी भुरालाल कुम्हार निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. रामघणी पत्नि नानुराम प्रजापत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लादु पुत्र नाथु कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. ग्राम पंचायत बागोलिया पंचायत समिति रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते-विवादित भूमि की पत्थरगढी करने वावत्)

उपस्थित

1. अमरसिंह चारण - प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 3, 4 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक - 05.08.2025

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम बागोलिया पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आवादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारी की कृषि आराजियात खाता संख्या 118 में अंकित आराजी संख्या 1082 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 1083 रकबा 0.01 है0 गै.मु.आचा, आराजी संख्या 1085 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 1355 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 2018/1084 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 2152/1086 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 2153/1086 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 2154/1087 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 2155/1087 रकबा 0.03 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 1.72 है0 भूमि स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तवा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने वावत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरवार टालमवाजी का जवाब देते हैं। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 20.01.2024 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र



सहायक जिला अधिकारी  
रायपुर

पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगद्दी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

2. प्रार्थी के आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामील विपक्षी संख्या 3 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपयुक्त भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 28.07.2025 को अगल में लाई गई एवं विपक्षी संख्या 1, 2 के विरुद्ध प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। विपक्षी संख्या 4 औपचारिक पक्षकार है।
3. न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दरतावेजात का गभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का विवेचन किया। जिससे स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम बागोलिया पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के वैरून हल्का आवादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 118 में अंकित आराजी संख्या 1082 रकबा 0.32 है०, आराजी संख्या 1083 रकबा 0.01 है०, मुआवा, आराजी संख्या 1085 रकबा 0.20 है०, आराजी संख्या 1355 रकबा 0.21 है०, आराजी संख्या 2018/1084 रकबा 0.18 है०, आराजी संख्या 2152/1086 रकबा 0.34 है०, आराजी संख्या 2153/1086 रकबा 0.11 है०, आराजी संख्या 2154/1087 रकबा 0.32 है०, आराजी संख्या 2155/1087 रकबा 0.03 है० कुल कित्ता 9 कुल रकबा 1.72 है० भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमावदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमावन्दी संवत् 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी संलग्न विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगद्दी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थी हकदार प्रतीत होते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

### आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम बागोलिया पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के वैरून हल्का आवादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 118 में अंकित आराजी संख्या 1082 रकबा 0.32 है०, आराजी संख्या 1083 रकबा 0.01 है०, मुआवा, आराजी संख्या 1085 रकबा 0.20 है०, आराजी संख्या 1355 रकबा 0.21 है०, आराजी संख्या 2018/1084 रकबा 0.18 है०, आराजी संख्या 2152/1086 रकबा 0.34 है०, आराजी संख्या 2153/1086 रकबा 0.11 है०, आराजी संख्या 2154/1087 रकबा 0.32 है०, आराजी संख्या 2155/1087 रकबा 0.03 है० कुल कित्ता 9 कुल रकबा 1.72 है० भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगद्दी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भू अभिलेख निशेदांक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगद्दी शुल्क 200/- रुपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/- रुपये जमा होने पर उक्त आराजी की



  
मुद्रायक कमिश्नर  
रायपुर

उपरोक्त पत्रकारिता को सुविधा करने हुए बसमावसान पत्रकारिता की कगरी एवं पत्रों गति  
होने पर महसूसदायक मासपत्र कमिश्नर से विधिवत पत्रकारिता के लिये इजाजत अर्पित  
करने से काम हो। नजिरदार से सम्बन्ध अधिकतम किया जाने



*[Handwritten signature]*

(करुणा नाडोली)  
उपसचिव अधिकारी एवं सहायक अभिलेख अधिकारी  
राज्य

आदेश आज दिनांक 05.08.2025 को सर-ए-इजलास मुनासब गया

*[Handwritten signature]*

उपसचिव अधिकारी एवं सहायक अभिलेख अधिकारी  
राज्य

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाडोती, आर ए एस

राजस्व आवेदन नम्बर :- 36/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/118

अनवान

1. तेजीदेवी पत्नी भुरालाल कुम्हार निवासी वागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. रामधणी पत्नि नानुराम प्रजापत निवासी वागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लादु पुत्र नाथु कुमावत निवासी वागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. ग्राम पंचायत वागोलिया पंचायत समिति रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जसिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :- तहसीलदार रायपुर हुकमनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 05.08.2025 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम वागोलिया पटवार हल्का वागोलिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आवादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों को कृषि आराजियात खाता संख्या 118 में अंकित आराजी संख्या 1082 रकवा 0.32 है0, आराजी संख्या 1083 रकवा 0.01 है0, मुआवा, आराजी संख्या 1085 रकवा 0.20 है0, आराजी संख्या 1355 रकवा 0.21 है0, आराजी संख्या 2018/1084 रकवा 0.18 है0, आराजी संख्या 2152/1086 रकवा 0.34 है0, आराजी संख्या 2153/1086 रकवा 0.11 है0, आराजी संख्या 2154/1087 रकवा 0.32 है0, आराजी संख्या 2155/1087 रकवा 0.03 है0 कुल कित्ता 9 कुल रकवा 1.72 है0 भूमि स्थित हैं।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रुपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रुपये सम्यधित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशागलात पक्षकारान के कराये जावे।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया हुए पालना रिपोर्ट मय पर्वा मौका के प्रस्तुत करें।

हुकमनामा आज दिनांक 05.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(करुणा लाडोती)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी  
रायपुर, भीलवाड़ा